रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236165
CG-DL-E-31052022-236165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944
No. 386] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISHTHA 10, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

सा.का.नि. 407(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) तीसरा संशोधन नियम, 2022 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के, नियम 12 के, उप-नियम (1ख) में,–

 (i) “31 मई, 2022” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “30 जून, 2022” अंकों, अक्षरों और शब्दों को रखा जाएगा;

 (ii) परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

 “परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए, यथास्थिति, प्ररूप एओसी-4 या एओसी-4 एक्सबीआरएल या एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस) फाइल करने के पश्चात, 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पृथकतः प्ररूप सीएसआर-2 फाइल किया जाएगा”।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-III]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 31 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2022

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Third Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 12, in sub-rule (1B),-

(i) for the figures, letters and word "31st May, 2022", the figures, letters and word "30th June, 2022", shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that for the financial year 2021-2022, Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31st March, 2023 after filing Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be".

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended, vide notification number G.S.R. 235(E), dated 31st March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.31 22:36:08 +05'30'